

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार
शिक्षा निदेशालय: निजी स्कूल शाखा (पीएसबी)
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.

क्रमांक.एफ.डी.ई.15(258)/ईडब्ल्यूएस/पीएसबी/2025-26/6538-6544

दिनांक: 30/05/25

परिपत्र

विषय: शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और डीएसईएआर, 1973 के अंतर्गत दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से रिक्त सीटों पर प्रवेश स्तर (अर्थात नर्सरी/केजी/कक्षा-1) पर सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश

1. आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के अनुसार, सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) पड़ोस में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित समूह और सीडब्ल्यूएसएन से संबंधित बच्चों को प्रवेश स्तर (प्री-स्कूल / नर्सरी, प्री-प्राइमरी / केजी और कक्षा -1) कक्षा में कम से कम 25% क्षमता का प्रवेश देने और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

2. शिक्षा निदेशालय एक बार फिर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियम, 1973 और आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं (प्री-स्कूल/नर्सरी, प्री-प्राइमरी/केजी और प्राइमरी/कक्षा-1) में कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली के माध्यम से दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी के लिए प्रवेश की सुविधा प्रदान कर रहा है। आवेदक निदेशालय की वेबसाइट यानी www.edudel.nic.in पर जाकर दूसरे कम्प्यूटरीकृत ड्रा के लिए आवेदन करने के लिए होम पेज पर उपलब्ध "CWSN Admission" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

3. सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश:

- अधिसूचना संख्या F.19/DDE(IEDSS)/Admi.Cel/PSB/2018/26923 दिनांक 23.07.2018 के अनुसार, EWS/DG (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूह) श्रेणी के लिए आरक्षित 25% सीट के भीतर 3% सीटें दिव्यांग बच्चों (CWSN- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) के लिए होंगी।

- सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के अंतर्गत आवेदक को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

4. शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दिल्ली ने वर्ष 2016-17 से डीएसईएआर, 1973 के तहत मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में कम्प्यूटरीकृत ड्रा द्वारा ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी में सीटों के ऑनलाइन आवंटन की प्रक्रिया शुरू की और वर्ष 2018-19 से इसे आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में आगे बढ़ा दिया गया।

5. एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही पंजीकरण किया जा सकेगा। आवेदन/प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी संचार केवल उसी फोन नंबर के माध्यम से किए जाएंगे।

6. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए एक आवेदक द्वारा एक बच्चे के लिए केवल एक ही आवेदन भरा जाएगा। एक बच्चे के लिए कई आवेदन करने पर, प्रवेश के लिए लॉटरी में सफल होने के बाद भी, बच्चे की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। साथ ही, निदेशक (शिक्षा) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.10.2023 के अनुसार, आवेदनों की दोहराव से बचने के लिए दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में CWSN के तहत प्रवेश स्तर पर प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए माता-पिता/कानूनी अभिभावक का आधार नंबर जमा करना अनिवार्य है। हालाँकि, CWSN श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बच्चे का आधार नंबर अनिवार्य नहीं है।

7. कोई भी बच्चा निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत प्रवेश स्तर पर प्रवेश के लिए केवल एक बार लाभ उठा सकता है, आदेश संख्या डीई. 15(1025)/पीएसबी/2023/पीटी फाइल/7706-7711 दिनांक 01.09.23 के अनुसार। सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत पहले से ही प्रवेश प्राप्त बच्चा निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए फिर से आवेदन नहीं कर सकता है।

8. उक्त ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम निम्नानुसार है:

प्रवेश अनुसूची

सीडब्ल्यूएसएन आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल का आरंभ	02.06.2025
सीडब्ल्यूएसएन आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि।	22.06.2025
सीडब्ल्यूएसएन आवेदकों के लिए दूसरे कम्प्यूटरीकृत ड्रा की संभावित तिथि	01.07.2025

ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए विस्तृत तंत्र सार्वजनिक परिपत्र संख्या F.DE.15(258)/EWS/PSB/2025-26/14-19 दिनांक 02/01/2025 पर शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट यानी पर पाया जा सकता है। www.edudel.nic.in दस्तावेजों की जाँच और प्रवेश का आगे का कार्यक्रम कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

9. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे: -

दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के तहत आवेदक के पास सरकारी अस्पताल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत जारी मूल्यांकन, दिशानिर्देशों में उल्लिखित है। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण या अधिकार और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का) के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद वैध बना रहेगा। इस संबंध में दिनांक 27/05/2022 को जारी एक परिशिष्ट का भी संदर्भ लिया जा सकता है। यह दोहराया जाता है कि यदि कोई बच्चा जिसे बौद्धिक दिव्यांगता / विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता (एसएलडी) / ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के मामले में पहचाना जाता है, जो किसी स्कूल में दाखिला चाहता है, उसके पास आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत जारी मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है बच्चे को दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी जारी होने तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा।

10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयु मानदंड: -दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के पास सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत जारी मूल्यांकन दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण या अधिकार और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अधिनियम के लागू होने के बाद उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध बना रहेगा। आदेश एफ. 265/डीडीई(आईईडीएसएस)/प्रशासन सेल/2017-18/2609-2613 दिनांक 11.09.2017 ('बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति' में निर्दिष्ट दिव्यांगता का कम से कम चालीस प्रतिशत वाला व्यक्ति शामिल है, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांगता वाला व्यक्ति शामिल है, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है) और एफ.213/डीडीई(आईईबी)/प्रशासन सेल/2022/6417-6431 दिनांक 09.08.2023 के क्रम में। दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के लिए आयु मानदंड निम्नानुसार है: -

कक्षा	31.03.2025 को दिव्यांग बच्चों/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के लिए आयु सीमा।
प्री-स्कूल/नर्सरी	3-7 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का जन्म 01.04.2018 से 31.03.2022 के बीच होना चाहिए।
प्री-प्राइमरी/केजी	4-8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का जन्म 01.04.2017 से 31.03.2021 के बीच होना चाहिए।
कक्षा 1	5-9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का जन्म 01.04.2016 से 31.03.2020 के बीच होना चाहिए।

11. प्रवेश के समय कैपिटेशन शुल्क/दान की माँग पर रोक के संबंध में।

कैपिटेशन फीस का अर्थ है स्कूल द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का दान, योगदान या भुगतान। राकेश गोयल बनाम मोंट फोर्ट स्कूल के मामले में एलपीए 196/2004 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 13 (1) के अनुसार, कोई भी स्कूल या व्यक्ति, बच्चे को दाखिला देते समय, माता-पिता से कोई कैपिटेशन फीस/दान नहीं लेगा। कोई भी स्कूल या व्यक्ति जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है और कैपिटेशन फीस मांगता है/प्राप्त करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो कि ली गई कैपिटेशन राशि से 10 गुना तक हो सकता है।

12. कम्प्यूटरीकृत डा के माध्यम से सीट के आवंटन के लिए आवासीय पता मुख्य मानदंड है। हालाँकि, यह देखा गया है कि माता-पिता/अभिभावक जानबूझकर गलत स्थान/उप-स्थान/उप-उप-स्थान का चयन करके अपने पसंदीदा स्कूल में प्रवेश पाने के लिए हेरफेर करते हैं। इसलिए, आवासीय पते (यानी, स्थान/उप-स्थान/उप-उप-स्थान) के बारे में विवरण भरने के संबंध में ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

आवासीय पता	
इलाका	क्षेत्र
उप-स्थान	गाँव/कॉलोनी/अपार्टमेंट/सेक्टर/पॉकेट/ब्लॉक/गली आदि।
उप-उप इलाका	

यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि पसंदीदा स्कूल में प्रवेश पाने के लिए बच्चे के आवासीय पते के संबंध में गलत जानकारी भरी गई है, तो बच्चे का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

13. यदि दस्तावेजों की जाँच के समय या बाद में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली/नकली पाए जाते हैं, तो बच्चे का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। यदि ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण और दस्तावेजों की जाँच के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में भिन्नता

पाई जाती है, तो बच्चे का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय माता-पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा में बदलाव का कोई प्रावधान नहीं है।

14. छात्र/आवेदक के विवरण में सुधार का विकल्प केवल आवेदक/अभिभावक के पास ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उपलब्ध है, जैसा कि परिपत्र में ऊपर उल्लेख किया गया है। अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र में विवरण सही हैं।

15. यदि किसी भी स्तर पर एक से अधिक/डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ/आवेदन पाए जाते हैं, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी/प्रवेश रद्द किया जा सकता है। कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से आवेदक को एक बार आवंटित स्कूल को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा।

16. शिक्षा निदेशालय के डीडीई जिलों के अंतर्गत 29 क्षेत्रीय टीमों में कम्प्यूटरीकृत ड्रा के 10 कार्य दिवसों के भीतर सभी सफल उम्मीदवारों के सभी दस्तावेजों की जाँच करेंगी। इसके लिए जिला कार्यालयों में एक समर्पित हेल्पडेस्क, सभी दस्तावेजों का एकल विंडो डिस्प्ले स्थापित किया जाएगा, जहाँ सभी आवश्यक दस्तावेज प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।

17. इसके अलावा, जोन/डीएएमसी की उप-समिति द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और अनुशंसित उम्मीदवार को प्रवेश देने के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों पर बाध्यकारी होगा। उम्मीदवार को जोन की उप-समिति द्वारा की गई जाँच के अलावा किसी और जाँच के अधीन नहीं किया जाएगा। यदि कोई स्कूल इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ आरटीई अधिनियम 2009 और डीएसईएआर अधिनियम, 1973 के मौजूदा नियमों और प्रावधानों के अनुसार उचित समझे जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

18. उपरोक्त के अतिरिक्त, शिक्षा निदेशालय के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की श्रेणी (सीडब्ल्यूएसएन) में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, हेल्पलाइन नंबर 9818154069 (सोमवार से शुक्रवार, सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच) पर शिकायत या प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

उपर्युक्त सभी निर्देश सभी संबंधितों द्वारा कड़ाई से अनुपालन हेतु जारी किए गए हैं तथा आदेश का अनुपालन न किए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

25.05/25
(सुशिता बीजू)

उप शिक्षा निदेशक (पीएसबी)

प्रतिलिपि : -

1. माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के ओएसडी।
2. माननीय शिक्षा मंत्री के ओएसडी, दिल्ली।
3. सचिव (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के निजी सचिव।
4. निदेशक (शिक्षा), रा.रा.क्षे.दिल्ली के प्रधान निजी सचिव।
5. अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा), रा.रा.क्षे.दिल्ली के निजी सचिव।
6. सभी शिक्षा उपनिदेशकों (जिला) को आवश्यक अनुपालन हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी (आईटी) को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक परिपत्र के रूप में अपलोड किया जाए।
8. गार्ड फाइल.

सु.बी
30/5/25
(सुशिता बीजू)

उप शिक्षा निदेशक (पीएसबी)